

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./09/36/2022/एफ0 सी0/1541

दिनांक: 09/02/2023

सेवा में,



अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद- टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में नगर पंचायत गजा के नव सृजित नगर पंचायत गजा में कूड़ा निस्तारण हेतु 0.20 हे0 वन भूमि नगर पंचायत गजा को दिये जाने के सम्बन्ध में। (Online No. FP/UK/OTHERS/29354/2017)

सन्दर्भ:-कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक - 1795 / FP/UK/OTHERS/29354/2017 दिनांक 28-01-2023

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 30.09.2022 का उत्तर राज्य सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत किया है जिसके अवलोकन उपरान्त प्रस्ताव में कुछ त्रुटियाँ पाई हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि निम्नांकित बिन्दु पर अभिलेख/दस्तावेज़ इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें :-

1. In reply to point no. 1, a comparative chart has been submitted. On perusal of the same, it is observed that both locations are on reserve forest land which does not serve the purpose. The State Government is requested to explore alternative in civil land or non-forest land.
2. In reply to point no. 2, submitted wildlife mitigation plan does not point out the adverse impacts of the project on wildlife nor does it try to address the adverse impacts. The item wise list for expenditure suggested in the mitigation plan does not seem to address the concerns. Hence, proper mitigation plan in accordance with Ministry's guidelines dated 16.01.2023 which identifies the adverse impacts of the project on wildlife and appropriate mitigation measures to address the adverse impacts is required to be submitted.

उपरोक्त त्रुटियों की पूर्तता के उपरान्त ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी एवं यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,


(गजेन्द्र प्रकाश नरवणे)
सहायक महानिरीक्षक (वन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

✓
(गजेन्द्र प्रकाश नरवणे)
सहायक महानिरीक्षक (वन)